



HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

Writ Petition Service Bench No. 211 of 2025

31 July, 2026

Annpurna Nautiyal

--Petitioner

Versus

Director School Education and Others

--Respondents

Presence:

Mr. Abhijay Negi, learned counsel for petitioner.

Mr. S.S. Chaudhary, learned Standing Counsel for the State of Uttarakhand.

**Coram: Hon'ble Manoj Kumar Tiwari, J. (Oral)
Hon'ble Pankaj Purohit, J.**

Petitioner is serving as Lecturer in a government aided Intermediate College at Dehradun. She has challenged promotion of respondent No.5 as Downgrade Principal by contending that she is senior to respondent No.5, therefore, she should be promoted as Downgrade Principal.

2. Learned State Counsel however submits that respondent No.5 is older in age to petitioner, therefore, she is senior as both petitioner and respondent No.5 were appointed on the same date. He relies upon Regulation 3(1) of Chapter-2 of the regulations framed under Uttarakhand School Education Act, 2006. The relevant regulation is quoted hereinbelow:-

“3-(1). प्रत्येक संस्था की प्रबन्ध समिति निम्नलिखित उपबन्धों के अनुसार अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार करायेगी—

(क) प्रत्येक श्रेणी के अध्यापकों की, जो किसी मौलिक पद पर स्थायी या अस्थायी हों, ज्येष्ठता सूची पृथक-पृथक तैयार की जायेगी।

(ख) किसी श्रेणी में अध्यापकों की ज्येष्ठता उस श्रेणी में उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर अवधारित की जायेगी।

यदि एक ही दिनांक को दो या दो से अधिक अध्यापक इस प्रकार नियुक्त किए गए थे, तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।



2026:UHC:6668-DB

(खख)- जहां किसी श्रेणी में काम करने वाले दो या अधिक अध्यापक एक ही दिनांक को अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नत किए जायें तो उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उनकी सेवा की अवधि के आधार पर अवधारित की जायेगी, जिसकी गणना उस श्रेणी में, जिससे पदोन्नति की जाय, उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी सेवा की अवधि समान हो तो ज्येष्ठता आयु के आधार पर अवधारित की जायेगी।

(ग) सेवा काल की अवधि चाहे कुछ भी हो, उच्चतर श्रेणी के अध्यापक को निम्नतर श्रेणी के अध्यापक से ज्येष्ठ समझा जायेगा।

(घ) यदि कोई अध्यापक जो निलम्बित किया गया हो अपने मूल पद पर बहाल कर दिया जाय तो श्रेणी में उसकी मूल ज्येष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) अध्यापक की ज्येष्ठता के सम्बन्ध में प्रत्येक विवाद प्रबन्ध समिति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो विनिश्चय के कारण देते हुए उसका विनिश्चय करेगी।

(च) उपखण्ड (ङ) के अधीन प्रबन्ध समिति के विनिश्चय से व्यथित कोई अध्यापक ऐसा विनिश्चय ऐसे अध्यापक को सूचित किए जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर संबंधित मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को अपील कर सकता है, और अपील पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक अपना निर्णय कारणों सहित देगा, जो अन्तिम होगा और प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यान्वित किया जायेगा।

(छ) यदि एक ग्रेड में कार्यरत दो या अधिक अध्यापक किसी एक ही तिथि पर पदोन्नत किए जायें तो उनकी ज्येष्ठता का आधार उस ग्रेड का सेवाकाल होगा जिसमें वे कार्यरत थे, परन्तु यदि सेवा-काल बराबर है तो पदोन्नति की दशा में आयु के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी।"

3. Learned counsel for petitioner has drawn our attention to the Agenda No.5 of the minutes of Management Committee Meeting held on 21.02.2022 for contending that petitioner is at S.No.1 in order of seniority amongst Lecturers serving in the college, but, due to pendency of disciplinary enquiry, her claim was not considered.

4. Learned State Counsel has drawn our attention to the discussion on Agenda No.4 in the same meeting, which indicates that respondent No.5 is the senior most Lecturer in the College. In that meeting, the Management Committee considered the issue raised by petitioner and resolved that since respondent No.5 is the senior most Lecturer, therefore, her promotion as Downgrade Principal is in order.



5. Since, petitioner and respondent No.5 were appointed as Lecturer on the same day and respondent No.5 is older in age, therefore, as per the regulations, respondent No.5 is senior to petitioner, notwithstanding the fact that he joined service two days later. Petitioner has not enclosed any document to support her claim that she is senior. Thus, there is no scope for interference in the matter.

6. Accordingly, the writ petition fails and is dismissed.

7. Pending applications also stand disposed of.

(Pankaj Purohit, J.)

(Manoj Kumar Tiwari, J.)

31.07.2026

PN/-

PREETI

NEGI

